न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

प्रकरण संख्या 39/2025 (GCMS: 2025/237)

श्री गुरबचन सिंह पुत्र रामलाल निवासी चक वीपीओ रत्तेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94600–97944)

बनाम

प्रभारी अधिकारी विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

09.06.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलाथी गुरबचन सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गुरबचन सिंह ने कार्यालय लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 31.01.2025 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गुरबचन सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.01.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. आपके कार्यालय के आदेशानुसार तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय द्वारा राउमावि, रत्तेवाला की प्रधानाचार्य श्रीमती अंजू मल्होत्रा के विरूद्ध डी.ई.ओ. स्तर की जांच दिनांक 27.07.2024 को अति. जिला परियोजना समग्र शिक्षा अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह व प्रधानाचार्य श्रीमती सरवेश कुमारी द्वारा की गई उस सम्पूर्ण जांच की पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:58:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

2. उपरोक्त जांच के उपरान्त विभाग द्वारा प्रधानाचार्य के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 99 दिनांक 05.02.2025 से प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित कर दिया और प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1200 दिनांक 09.06.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी गुरबचन सिह पुत्र रामलाल साकिन रत्तेवाला द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 31.01.2025 को श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रा. पत्र के बिन्दु सं. 1 व 2 में अंकित सूचना प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रा. पत्र धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्र सं. प41(1)(1) आरटीआई/विकास/278 दिनांक 10.02.2025 द्वारा प्रार्थी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), श्रीगंगानगर को हस्तान्तरित किया जा चुका है। जिसकी प्रति पत्र सं. 280 दिनांक 10.02.2025 द्वारा प्रर्थी गुरबचन सिंह को पंजीकृत डाक (RR270340837IN) द्वारा भिजवाई गई थी। (छाया प्रति संलग्न है)। अपीलार्थी द्वारा अपील जिला शिक्षा अिधकारी (माध्यमिक), श्रीगंगानगर के विरूद्ध पेश की गई है। श्रीमानजी शिक्षा विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर स[illegible] फरमाई जावे।

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:58:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी विकास शाखा ने अपील का जवाब उक्तानुसार प्रेषित किया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी का मूल पत्र उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), श्रीगंगानगर को हस्तान्तरित किया गया है तथा अपने पत्रांक एफ41(1)(1)आर.टी.आई./विकास/2025/279–280 दिनांक 10.02.2025 के द्वारा अपीलार्थी को भी सूचित किया गया **है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), श्रीगंगानगर द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है।** इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), श्रीगंगानगर के जवाब से असंतुष्ट हो तो, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), श्रीगंगानगर के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर खारिज़ की जाती है। **आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:58:00 IST
Reason: SelfAttested